



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2003/कार्तिक 29, 1925

No. 566 ]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2003/KARTIKA 29, 1925

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

( राजस्व विभाग )

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2003

New Delhi, the 20th November, 2003

सं. 21/2003-सेवा कर

No. 21/2003-SERVICE TAX

सा.का.नि. 897(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (105) में विनिर्दिष्ट, किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गई, करादेय सेवाओं को, जिनकी बाबत संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया गया हो, उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है :

G.S.R. 897(E).—In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services specified in Sub-section (105) of Section 65 of the said Act, provided to any person in respect of which payment is received in India in convertible foreign exchange, from the whole of the service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act :

परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात तब लागू नहीं होगी जबकि करादेय सेवाओं की बाबत भारत में प्राप्त संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा को भारत से उसके बाहर भेज दिया जाता है।

Provided that nothing contained in this notification shall apply when the payment received in India in convertible foreign exchange for taxable services rendered is repatriated from, or sent outside, India.

[ फा. सं. टी.एस./3/2003-टीआरयू ]

[F. No. TS/3/2003-TRU]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

G. S. KARKI, Under Secy.